राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.6(6)वित्त(नियम)/2024 जयपुर, दिनांक : 11 JUL 2024

आदेश

विषयः Rajasthan Government Health Schme (RGHS) के अन्तर्गत आउटडोर चिकित्सा पर व्ययित राशि के पुनर्भरण के संबंध में।

आरजीएचएस लागू होने के उपरान्त राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के अन्तर्गत राज्य में पदस्थापित राज्य कर्मचारियों को आउट डोर चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार की स्थिति में परामर्श की गई औषधियां फार्मा स्टोर/ई–फार्मा स्टोर के माध्यम से ही निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।

राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 22 के प्रावधान के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के क्रम में आरजीएचएस कार्ड धारक राज्य कर्मचारियों के आउट डोर चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार पर व्ययित राशि के पुनर्भरण संबंधी कठिनाइयों के निराकरण हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :

1. राज्य कर्मचारी को राज्य से बाहर राजकीय यात्रा पर राज्य से बाहर स्थित राजकीय या निजी चिकित्सालय में आउट डोर चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार करवाने पर चिकित्सीय परामर्श पर क्रय की गई पुनर्भरण योग्य औषधियों के पुनर्भरण का दावा आरजीएचएस पुनर्भरण माड्यूल पर प्रस्तुत किया जा सकेगा। यह दावा तभी स्वीकार योग्य होगा जबकि इस हेतु राज्य कर्मचारी द्वारा राज्य से बाहर की गई सरकारी यात्रा से संबंधित सक्षम आदेश की प्रति आरजीएचएस पुनर्भरण मोड्यूल पर अपलोड की जायेगी।

2. आरजीएचएस के अन्तर्गत अनुमोदित चिकित्सालय जो सिर्फ इनडोर उपचार हेतु अधिकृत है, उस अनुमोदित चिकित्सालय के इन्डोर उपचार हेतु अधिकृत चिकित्सक राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के अन्तर्गत प्राधिकृत चिकित्सक के रूप में अधिकृत हैं, अतः उन प्राधिकृत चिकित्सकों द्वारा आउट डोर चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार हेतु परामर्श किए जाने पर परामर्श की गई पुनर्भरण योग्य औषधियों को प्राधिकृत फार्मा स्टोर के माध्यम से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकेगा। यदि इन प्राधिकृत चिकित्सकों द्वारा परामर्श की गई पुनर्भरण योग्य औषधियों को संबंधित फार्मा स्टोर द्वारा निःशुल्क उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इन परामर्श की गई पुनर्भरण योग्य औषधियों को इन फार्मा स्टोर से नकद राशि दे कर क्रय करने की स्थिति में आरजीएचएस पुनर्भरण माड्यूल पर दावा प्रस्तुत करने पर नियमानुसार पुनर्भरण किया जा सकेगा।

बिन्दु संख्या 2 से संबंधित प्रावधान आरजीएचएस कार्ड धारक पेंशनरों पर भी लागू होगा।

परियोजना निदेशक, आरजीएचएस पुनर्भरण मोड्यूल में उपरोक्त आदेशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

11.07.24

(देबाशीष पृष्टी)
शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री)
4. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव
7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टैंट हेल्थ एश्योरेंस एजेन्सी / परियोजना निदेशक, आरजीएचएस
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान,
12. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. प्रशासनिक सुधार विभाग(ग्रुप–6)
15. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
16. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
17. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

(एस.जेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(RSR 13 /2024)

C:\JS-II\RGHS_Final\RGHS_Order_Hindi.docx